प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

सेवा में,

डिप्टी रजिस्ट्रार,
प्रधान पीठ, मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

सं0– 3050 /जे0ए0–प्रथम/लोहियानगर प0/2023, दिनांक–30 अक्टूबर, 2023

विषय– Notice of hearing in Suo Motu matter In re : News item appearing in Hindustan Times dated 17-10-2023 entitled "Four dead, five unjured after blast in soap factory in Meerut."

महोद्य,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 अधिकरण के OA N0.673/2023 के कम में अपने पत्र दिनांकित 21.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में श्री भुवन प्रकाश यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उ0प्र0 मेरठ को प्रकरण से सम्बन्धित आख्या सहित भेजा जा रहा है। कृपया अनुरोध है कि प्रेषित आख्या नियत दिनांक 01.11.2023 को मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कराने का कष्ट करे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

30/10/2023

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपि–

श्री भुवन प्रकाश यादव, क्षेत्रीय अधिकारी–उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उ0प्र0 मेरठ को इस निर्देश सहित प्रेषित है कि डिप्टी रजिस्ट्रार, प्रधान पीठ, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष संलग्न आख्या सहित नियत दिनांक से पूर्व उपस्थित होकर आख्या मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें तथा नियत दिनांक को अधोहस्ताक्षरी की मा0 अधिकरण के समक्ष वर्चुअल उपस्थिति हेतु लिंक प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी, मेरठ।

Scanned with OKEN Scanner

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पत्र दिनांकित 21.10.2023 के कम में मा0 अधिकरण के समक्ष आख्या

घटना का विवरण

दिनांक 17–10–2023 को प्रातः 7.15 बजे जनपद मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में स्थित एक दो मंजिला भवन संख्या–एम–307 में विस्फोट होने की घटना घटित हुई। उक्त घटना के कम में अधोहस्ताक्षरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी–नगर, पुलिस अधीक्षक–नगर, एन0डी0आर0एफ0 एंव एस0डी0आर0एफ0, पुलिस क्षेत्राधिकारी, थाना एंव चौकी प्रभारी सहित अन्य पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य प्रारम्भ किया गया। उक्त घटना में भवन में निवास कर रहे 05 व्यक्ति तथा रास्ते से गुजर रहे 05 अन्य महिला/पुरूष/बच्चे घायल हो गये थे, जिन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज मेरठ में भर्ती कराया गया, जहां उक्त भवन में निवासरत 05 व्यक्तियों की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। मृतको के नाम 1–अयोध्या पुत्र लल्लनराम, उम्र–40 वर्ष, निवासी–कोईल, थाना–चरपोखरी, जिला–भोजपुर बिहार 2–सुनील कुमार ठाकुर पुत्र योगेन्द्र, उम्र–32 निवासी–कोईल, थाना–चरपोखरी, जिला–भोजपुर बिहार 3–प्रयाग शाह पुत्र वीरेन्द्र शाह, उम्र–21 निवासी–कोईल, थाना–चरपोखरी, जिला–भोजपुर बिहार 4–रूपन शाह पुत्र सागर शाह उम्र–50 वर्ष निवासी–कोईल, थाना–चरपोखरी, जिला–भोजपुर बिहार, 5–चन्दन पुत्र पिन्टू, निवासी–ग्राम–जितौरा, थाना–पियरो भोजपुर बिहार है एवं घायलों में श्री ओंकार पुत्र करण सिंह, इनका पोता कार्तिक, श्रीमती सरोज पत्नी दीपक आयु 30 वर्ष, करण पुत्र दीपक आयु 3 वर्ष एंव आसमां पुत्री हारून आयु 30 वर्ष, समस्त निवासीगण लोहियानगर मेरठ हैं, जिनकी स्थिति खतरे से बाहर है।

उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोहियानगर में मु0अ0सं0– 0069/2023, अं0 धारा–304, 268, 269, 285, 286 भा0दं0सं0 पंजीकृत किया गया है (छायाप्रति संलग्न), जिसकी विवेचना प्रचलित है। प्रशासनिक स्तर पर उपरोक्त घटना की जांच हेतु अपर जिलाधिकारी–नगर, मेरठ की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक–नगर, सहायक निदेशक–विद्युत सुरक्षा मेरठ जोन, उपायुक्त उद्योग, सहायक निदेशक–कारखाना मेरठ क्षेत्र मेरठ एंव अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग मेरठ की समिति का गठन किया गया।

उपरोक्त जांच समिति द्वारा स्थलीय एंव अभिलेखीय जांच कर अपनी संयुक्त जांच आख्या प्रस्तुत की गयी (छायाप्रति संलग्न), जिसमें निम्नवत् अवगत कराया है –

जांच समिति की स्थलीय जांच आख्या एंव निष्कर्ष :–

- लोहियानगर, जोकि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित एक आवासीय क्षेत्र है, में श्री संजय गुप्ता का एक दो मंजिला आवास संख्या–एम–307 स्थित था। श्री संजय गुप्ता द्वारा भूतल पर स्थित हॉल को श्री आलोक रस्तोगी को किराये पर दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा साबुन व फिनॉयल का गोदाम बनाया गया था। भूतल के ही

Scanned with OKEN Scanner

मध्य भाग को श्री उदयराज सिंह को किराये पर दिया गया था, जहां उनके द्वारा पुराने ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन की खरीद–फरोख्त व मरम्मत का कार्य किया जाता था। भूतल के ही पिछले हिस्से व प्रथम तल को श्री गौरव गुप्ता पुत्र श्री विरेन्द्र गुप्ता, निवासी–428/7, सेक्टर–7, जागृति विहार मेरठ को किराये पर दिया गया था, जहां गौरव गुप्ता ने प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री स्थापित की गयी थी।

- गौरव गुप्ता द्वारा भूतल पर प्लास्टिक वर्क की मशीनें लगायी गयी थीं तथा प्रथम तल पर निर्मित सामान की फिनिशिंग, डाई और पैकेजिंग का काम होता था। उक्त फैक्ट्री में काम करने वाले 05 मजदूर/कारीगर, जो जिला भोजपुर, बिहार के होना पाया गया है, भी निवास करते थे।
- विद्युत विभाग के रोस्टर की जांच करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भवन में श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री राजकमल गुप्ता द्वारा विद्युत संयोजन एकाउन्ट नम्बर आई.डी. 7076642670, दिनांक 04.10.2021 को लिया गया था, जो 9 के0वी0 का इन्डस्ट्रीयल कनेक्शन है। इस कनेक्शन को पहले इम्पेलर सबमर्सिबल पानी उठाने के लिये लिया गया था किन्तु बाद में इसे साबुन फैक्ट्री के रूप में तब्दील करा लिया गया था। दिनांक 16/17–10–2023 की मध्यरात्रि 12.05 बजे लोहियानगर फीडर पर ट्रिप आयी थी। 12.35 बजे पुनः ट्रोली को ट्राई करने पर होल्ड नही हुई। तेज तूफान व बारिश होने के कारण सत्यकाम स्कूल के सामने एस.टी.पी. पोल से एक फेस तार उतरने के कारण तीनों फीडर को ब्रेकडाउन में खोल दिया गया था। इससे स्पष्ट है कि घटना के समय विद्युत आपूर्ति बन्द थी।
- स्थलीय निरीक्षण में मौके पर रसायन से भरे दो ड्रम (जिसको परीक्षण के लिये भेजा गया है), दो ड्रम मोबिल ऑयल के, दो प्लास्टिक का सामान बनाने वाली मशीनें, एक पुरानी ऑफसैट मशीन, प्लास्टिक के पैलेट्स (कैमिकल पदार्थ से भरी) के कई 10–12 कार्टून, साबुन फिनाईल इत्यादि का भारी मात्रा में भण्डारण पाया गया।
- **दिनांक 17.10.2023 को प्रातः 7.15 बजे चूंकि घटना के समय विद्युत आपूर्ति उस क्षेत्र में बंद थी, सम्भवतः मजदूरों द्वारा खाना बनाने के दौरान वहां पर रखे किसी कैमिकल में दुर्घटनावश धमाका हो गया, जिसके कारण सम्पूर्ण भवन धराशायी हो गया।**

- लोहिया नगर एक आवासीय क्षेत्र है जोकि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित है। उक्त आवासीय क्षेत्र में भवन संख्या–एम–307 श्री संजय गुप्ता के नाम था। सम्भवतः इस आवासीय भूखण्ड के मूल आवंटी श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री शीतल प्रसाद सिंह निवासी डी–70, शास्त्री नगर मेरठ से या इनके मुख्तारेआम श्रीमती रेखा रानी से श्री संजय गुप्ता द्वारा इसे क्रय किया गया। इस भवन के मानचित्र स्वीकृत होने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नही करायी जा सकी है। लोहियानगर के इस आवासीय क्षेत्र में कई भवनों में इस प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिसका प्राधिकरण को जानकारी तक नही है।

Scanned with OKEN Scanner

प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उस क्षेत्र में यदि कोई औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं तो उसके लिये प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। जैसा कि प्राविधानित है कि यदि किसी प्राधिकरण द्वारा विकसित किसी आवासीय क्षेत्र में कोई भी निर्माण या पुर्ननिर्माण या अन्य प्रकार की कोई गैर आवासीय गतिविधियां संचालित होती हैं तो प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित को नोटिस जारी कर कार्यवाही की जाती है परन्तु इस प्रकरण में प्राधिकरण की अनभिज्ञता से प्रतीत होता है कि प्राधिकरण के उस क्षेत्र अभियंता द्वारा अपने क्षेत्र में हो रहे निर्माण/औद्योगिक गतिविधियो/पुर्ननिर्माण होने का संज्ञान नही लिया जाता है। अगर संज्ञान लेते हुए समय रहते कार्यवाही की गयी होती तो सम्भवतः उक्त घटना न घटित होती, जिससे उस क्षेत्र के अभियंता/सक्षम प्राधिकारी की लापरवाही परिलक्षित होती है।

- जैसा कि विद्युत सुरक्षा विभाग की आख्या से स्पष्ट है कि अधिसूचित है विभव (650 वोल्ट) से उच्च विभव पर विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने से पहले विद्युत सुरक्षा विनियम–2010 के प्रावधान के 43 व 44 के अन्तर्गत विद्युतीय अधिष्ठापन को ऊर्जाकृत किये जाने के पूर्व विद्युत सुरक्षा के ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन किये जाने का प्रावधान है। इसके लिये भवन मालिक को ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन कर अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना चाहिए था, जिसके लिये भवन स्वामी दोषी है।
- विद्युत विभाग व विद्युत सुरक्षा विभाग की आख्या के परिशीलन से स्पष्ट है कि अवर अभियंता व उप खण्ड अधिकारी के द्वारा भौतिक निरीक्षण किया गया। इसके बावजूद आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक संयोजन कैसे दे दिया गया व विद्युत सुरक्षा को उक्त की सूचना तक नही दी गयी। जिसके लिये संबंधित क्षेत्र के अवर अभियंता व उप खण्ड अधिकारी, जिनके द्वारा भौतिक निरीक्षण किया गया था, की लापरवाही परिलक्षित होती है।
- श्री गौरव गुप्ता पुत्र श्री विरेन्द्र गुप्ता, निवासी–428/7, सेक्टर–7, जागृति विहार मेरठ द्वारा आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। औद्योगिक गतिविधियों के सम्बन्ध में इनके द्वारा सक्षम विभागों से कोई अनापत्तियां भी प्राप्त नही की गयी थीं। इसके साथ ही गौरव गुप्ता द्वारा प्रश्नगत भवन में खतरनाक रसायन का स्टोर किया गया था, जिसकी वजह से उक्त घटना घटित हुई, जिसके लिये गौरव गुप्ता दोषी है।
- अन्य विभागों की आख्या व जांच में ऐसे कोई तथ्य नही पाये गये जिससे किसी अन्य विभाग के अधिकारी की लापरवाही परिलक्षित होती हो। मेरठ में कई ऐसे आवासीय क्षेत्र है जहॉ पर औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो रही है। ऐसी औद्योगिक गतिविधियों में खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया जा रहा हो, ऐसी सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता। इसके लिये सभी संबंधित विभाग की एक संयुक्त टीम द्वारा निरंतर अन्तराल पर औद्योगिक गतिविधियों के विरूद्व जो अवैध रूप से संचालित की जा रही हों, संयुक्त अभियान चलाया जाना आवश्यक है।

Scanned with OKEN Scanner

जांच समिति की उपरोक्त आख्या के आधार पर मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को पत्र संख्या– 695/एसटी–नगर/दिनांक 27.10.2023 द्वारा निर्देशित किया गया है। प्रश्नगत आवासीय भवन में औद्योगिक विद्युत संयोजन देने के लिए भौतिक निरीक्षण करने वाले क्षेत्रीय उप खण्ड अधिकारी एंव अवर अभियन्ता के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 मेरठ को पत्र सं0– 696/एसटी–नगर/दिनांक 27.10.2023 प्रेषित किया गया है तथा उपरोक्त घटना में कानूनी कार्यवाही किए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को पत्र संख्या– 697/एसटी–नगर/दिनांक 27.10.2023 प्रेषित किया गया है। उपरोक्त पत्रों की छायाप्रतियां अवलोकनार्थ संलग्न है।

उपरोक्त घटना में मृतक व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्रम विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

आख्या सादर प्रेषित है।

30/10/2023

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी, मेरठ।

Scanned with OKEN Scanner

अति आवश्यक

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

संख्या– 695 /एसटी–नगर/जांच प0/2023 दिनांक– 27 अक्टूबर, 2023

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

दिनांक 17–10–2023 को प्रातः 7.15 बजे जनपद मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में स्थित एक दो मंजिला मकान में विस्फोट होने के कारणों की जांच के सम्बन्ध में गठित जांच समिति को संयुक्त तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। गठित समिति द्वारा अपनी संयुक्त जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

समिति द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया है कि लोहिया नगर एक आवासीय क्षेत्र है जोकि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित है। उक्त आवासीय क्षेत्र में भवन संख्या–एम–307 श्री संजय गुप्ता के नाम था। सम्भवतः इस आवासीय भूखण्ड के मूल आवंटी श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री शीतल प्रसाद सिंह निवासी डी–70, शास्त्री नगर मेरठ से या इनके मुख्तारेआम श्रीमती रेखा रानी से श्री संजय गुप्ता द्वारा इसे कय किया गया। इस भवन के मानचित्र स्वीकृत होने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नही करायी जा सकी है। लोहियानगर के इस आवासीय क्षेत्र में कई भवनों में इस प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिसका प्राधिकरण को जानकारी तक नही है। प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उस क्षेत्र में यदि कोई औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं तो उसके लिये प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। जैसा कि प्राविधानित है कि यदि किसी प्राधिकरण द्वारा विकसित किसी आवासीय क्षेत्र में कोई भी निर्माण या पुर्ननिर्माण या अन्य प्रकार की कोई गैर आवासीय गतिविधियां संचालित होती हैं तो प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित को नोटिस जारी कर कार्यवाही की जाती है परन्तु इस प्रकरण में प्राधिकरण की अनभिज्ञता से प्रतीत होता है कि प्राधिकरण के उस क्षेत्र के अभियंता द्वारा अपने क्षेत्र में हो रहे निर्माण/औद्योगिक गतिविधियो/पुर्ननिर्माण होने का संज्ञान नही लिया जाता है। अगर संज्ञान लेते हुए समय रहते कार्यवाही की गयी होती तो सम्भवतः उक्त घटना न घटित होती, जिससे उस क्षेत्र के अभियंता/सक्षम प्राधिकारी की लापरवाही परिलक्षित होती है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता एंव अवर अभियन्ता का तत्काल स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपि–

1– आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ महोदया को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

27/10/2023
(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी, मेरठ।

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यक/तत्काल

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

संख्या– 696 /एसटी–नगर/जांच प0/2023 दिनांक– 27 अक्टूबर, 2023

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

महोदया,

दिनांक 17–10–2023 को प्रातः 7.15 बजे जनपद मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में स्थित एक दो मंजिला मकान में विस्फोट होने के कारणों की जांच के सम्बन्ध में गठित जांच समिति को संयुक्त तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। गठित समिति द्वारा अपनी संयुक्त जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

समिति द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया है कि विद्युत विभाग व विद्युत सुरक्षा विभाग की आख्या के परिशीलन से स्पष्ट है कि अवर अभियंता व उप खण्ड अधिकारी के द्वारा भौतिक निरीक्षण किया गया। इसके बावजूद आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक संयोजन कैसे दे दिया गया व विद्युत सुरक्षा को उक्त की सूचना तक नही दी गयी। जिसके लिये संबंधित क्षेत्र के अवर अभियंता व उप खण्ड अधिकारी, जिनके द्वारा भौतिक निरीक्षण किया गया था, की लापरवाही परिलक्षित होती है।

अतः औद्योगिक विद्युत संयोजन देने के लिये स्थल का भौतिक निरीक्षण करने वाले क्षेत्रीय उप खण्ड अधिकारी एंव अवर अभियन्ता के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपि–

मुख्य अभियन्ता– पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. विक्टोरिया पार्क, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी, मेरठ

Scanned with OKEN Scanner

संदर्भ/विविध प..

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

संख्या– 697 /एसटी–नगर/जांच प0/2023 दिनांक– 27 अक्टूबर, 2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
मेरठ।

दिनांक 17–10–2023 को प्रातः 7.15 बजे जनपद मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में स्थित एक दो मंजिला मकान संख्या–एम–307 में विस्फोट होने के कारणों की जांच के सम्बन्ध में गठित जांच समिति को संयुक्त तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। गठित समिति द्वारा अपनी संयुक्त जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

समिति द्वारा अपनी संयुक्त आख्या में अवगत कराया है कि जैसा कि विद्युत सुरक्षा विभाग की आख्या से स्पष्ट है कि अधिसूचित विभव (650 वोल्ट) से उच्च विभव पर विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने से पहले विद्युत सुरक्षा विनियम–2010 के प्रावधान के 43 व 44 के अन्तर्गत विद्युतीय [illegible] ऊर्जाकृत किये जाने के पूर्व विद्युत सुरक्षा के ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन किये जाने का प्रावधान है। इसके लिये भवन मालिक को ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन कर अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना चाहिए था, जिसके लिये भवन स्वामी श्री संजय गुप्ता दोषी है।

यह भी कि गौरव गुप्ता पुत्र विरेन्द्र गुप्ता, निवासी–428/7, सेक्टर–7, जागृति विहार मेरठ द्वारा आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। औद्योगिक गतिविधियों के सम्बन्ध में इनके द्वारा सक्षम विभागों से कोई अनापत्तियां भी प्राप्त नही की गयी थीं। इसके साथ ही गौरव गुप्ता द्वारा प्रश्नगत भवन में खतरनाक रसायन का स्टोर किया गया था, जिसकी वजह से उक्त घटना घटित हुई, जिसके लिये गौरव गुप्ता दोषी है।

अतः अपेक्षित है कि उपरोक्त आवासीय मकान में घटित विस्फोट की घटना, जिसमें 05 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा 05 व्यक्ति घायल हो गये, के दृष्टिगत कानूनी कार्यवाही करते हुए अवगत कराने का कष्ट करें।

27/10/2023

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी, मेरठ।

Scanned with OKEN Scanner

सं0– 692 /एसटी–नगर/जांच/2023, दिनांक– 21 –10–2023

:: जांच आख्या ::

दिनांक 17–10–2023 को प्रातः 7.15 बजे जनपद मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में स्थित एक दो मंजिला मकान में विस्फोट होने के कारणों की जांच के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं0– 3528/ओएसडी–कैम्प/2023, दिनांक 17.10.2023 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरीगण की जांच समिति गठित करते हुए जांच समिति [illegible] तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा स्थलीय निरीक्षण करते हुए अन्य संबधित विभागों से आख्या प्राप्त करते हुए जांच की गयी। जांच आख्या निम्नलिखित है –

स्थलीय जांच आख्या :–

- लोहियानगर, जोकि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित एक आवासीय क्षेत्र है, में श्री संजय गुप्ता का एक दो मंजिला आवास संख्या–एम–307 स्थित था। श्री संजय गुप्ता द्वारा भूतल पर स्थित हॉल को श्री आलोक रस्तोगी को किराये पर दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा साबुन व फिनॉयल का गोदाम बनाया गया था। भूतल के ही मध्य भाग को श्री उदयराज सिंह को किराये पर दिया गया था, जहां उनके द्वारा पुराने ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन की खरीद–फरोख्त व मरम्मत का कार्य किया जाता था। भूतल के ही पिछले हिस्से व प्रथम तल को श्री गौरव गुप्ता पुत्र श्री विरेन्द्र गुप्ता, निवासी–428/7, सेक्टर–7, जागृति विहार मेरठ को किराये पर दिया गया था, जहां गौरव गुप्ता ने प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री स्थापित की गयी थी।
- गौरव गुप्ता द्वारा भूतल पर प्लास्टिक वर्क की मशीनें लगायी गयी थीं तथा प्रथम तल पर निर्मित सामान की फिनिशिंग, डाई और पैकेजिंग का काम होता था। उक्त फैक्ट्री में काम करने वाले 05 मजदूर/कारीगर, जो जिला भोजपुर, बिहार के होना पाया गया है, भी निवास करते थे।
- विद्युत विभाग के रोस्टर की जांच करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भवन में श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री राजकमल गुप्ता द्वारा विद्युत संयोजन एकाउन्ट नम्बर आई.डी. 7076642670, दिनांक 04.10.2021 को लिया गया था, जो 9 के0वी0 का इन्डस्ट्रीयल कनेक्शन है। इस कनेक्शन को पहले इम्पेलर सबमर्सिबल पानी उठाने के लिये लिया गया था किन्तु बाद में इसे साबुन फैक्ट्री के रूप में तब्दील करा लिया गया था। दिनांक 16/17–10–2023 की मध्यरात्रि 12.05 बजे लोहियानगर फीडर पर ट्रिप आयी थी। 12.35 बजे पुनः ट्रौली को ट्राई करने पर होल्ड नही हुई। तेज तूफान व बारिश होने के कारण सत्यकाम स्कूल के सामने एस.टी.पी. पोल से एक फेस तार उतरने के कारण तीनों फीडर को ब्रेकडाउन में खोल दिया गया था। इससे स्पष्ट है कि घटना के समय विद्युत आपूर्ति बन्द थी।
- स्थलीय निरीक्षण में मौके पर रसायन से भरे दो ड्रम (जिसको परीक्षण के लिये भेजा गया है), दो ड्रम मोबिल ऑयल के, दो प्लास्टिक का सामान बनाने वाली मशीनें, एक पुरानी ऑफसैट मशीन, प्लास्टिक के पैलेट्स (कैमिकल पदार्थ से भरी) [illegible] 10–12 कार्टून, साबुन फिनाईल इत्यादि का भारी मात्रा में भण्डारण पाया गया।

Scanned with OKEN Scanner

- दिनांक 17.10.2023 को प्रातः 7.15 बजे चूंकि घटना के समय विद्युत आपूर्ति उस क्षेत्र में बंद थी, सम्भवतः मजदूरों द्वारा खाना बनाने के दौरान वहां पर रखे किसी कैमिकल में दुर्घटनावश धमाका हो गया, जिसके कारण सम्पूर्ण भवन धराशायी हो गया।
- उक्त दुर्घटना में वहां निवास कर रहे 05 व्यक्ति तथा रास्ते से गुजर रहे 05 अन्य महिला/पुरूष/बच्चे घायल हो गये थे, जिन्हें तत्काल पुलिस व स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से मेडिकल कॉलेज मेरठ में भर्ती कराया गया, जहां उक्त भवन में निवासरत 05 व्यक्तियों की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। मृतकों के नाम 1–अयोध्या पुत्र लल्लनराम, उम्र–40 वर्ष, निवासी–कोईल, थाना–चरपोखरी, जिला–भोजपुर बिहार 2–सुनील कुमार ठाकुर पुत्र योगेन्द्र, उम्र–32 निवासी–कोईल, थाना–चरपोखरी, जिला–भोजपुर बिहार 3–प्रयाग शाह पुत्र वीरेन्द्र शाह, उम्र–21 निवासी–कोईल, थाना–चरपोखरी, जिला–भोजपुर बिहार 4–रूपन शाह पुत्र सागर शाह उम्र–50 वर्ष निवासी–कोईल, थाना–चरपोखरी, जिला–भोजपुर बिहार, 5–चन्दन पुत्र पिन्टू निवासी–ग्राम–जितौरा, थाना–पियरो भोजपुर बिहार है एवं घायलों में श्री ओंकार पुत्र करण सिंह, इनका पोता कार्तिक, श्रीमती सरोज पत्नी दीपक आयु 30 वर्ष, करण पुत्र दीपक आयु-3 वर्ष एंव आसमां पुत्री हारून आयु 30 वर्ष, समस्त निवासीगण लोहियानगर मेरठ हैं, जिनकी स्थिति खतरे से बाहर है।

❖ सम्बन्धित विभागों से प्राप्त आख्या :–

➢ मेरठ विकास प्राधिकरण से प्राप्त आख्या अनुसार डा० राम लोहिया नगर आवासीय योजना वर्ष 1991 में आरम्भ हुयी।

- प्रश्नगत भवन एम–307 क्षेत्रफल 144.00 वर्ग मी0 के भूखण्ड का प्राधिकरण से आवंटन दिनांक 26.11.2001 को आवासीय प्रयोजन हेतु श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री शीतल प्रसाद सिंह निवासी डी–70, शास्त्री नगर मेरठ को आवंटित किया गया। तत्पश्चात मूल आवंटी श्री कुलदीप सिंह द्वारा सब रजिस्ट्रार द्वितीय मेरठ के कार्यालय में मुख्तारेआम रेखा रानी पुत्री श्री छज्जू सिंह निवासी सिद्वार्थ नगर गली नं0–2, शेरगढ़ी मेरठ के पक्ष में दिनांक 09.10.2006 को पंजीकृत कराया। पंजीकृत मुख्तारेआम के आधार पर श्रीमती रेखा रानी द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण से दिनांक 09.11.2006 को अपने पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कराया गया। तत्पश्चात पूरक विलेख दिनांक 24.03.2010 को निष्पादित कराया गया।
- श्री संजय गुप्ता नाम से प्रश्नगत सम्पति प्राधिकरण अभिलेखों में दर्ज नहीं है।
- प्राधिकरण में स्वीकृत मानचित्रों का रखरखाव योजनावार अथवा भूखण्ड / भवन संख्या का न रखते हुये मानचित्र सख्या एवं वर्षवार के आधार पर रखा जाता है। भवन विशेष का स्वीकृत मानचित्र सख्या व वर्ष उपलब्ध होने की दशा में ही इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है।
- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–15 ए के अन्तर्गत 37.00 वर्ग मी0 से कम क्षेत्रफल के आवासीय भवन हेतु पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

- नियमतः भवन निर्माण के पश्चात स्थल निरीक्षण का कोई प्राविधान नहीं है।
- आवासीय कालोनी में आवासीय निर्माण करने के उपरान्त भवन के अन्दर संचालित गतिविधि को रेगुलेट करने का अधिकार प्राधिकरण को नहीं है। यह कार्य पुलिस / प्रशासनिक स्तर से ही किया जा सकता है।
- उक्त कालोनी नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है।

➢ **विद्युत विभाग** द्वारा प्राप्त आख्या अनुसार जैसा कि विद्युत विभाग ने अपनी आख्या में उल्लिखित किया है कि औद्योगिक विधा (LMV–6) में संयोजन हेतु झटपट पोर्टल पर आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् आवेदनकर्ता द्वारा झटपट पोर्टल पर अपलोड किये गये प्रपत्रों (आवेदन पत्र शपथ पत्र -विद्युत सुरक्षा निदेशालय से लाईसेंस प्राप्त क्लास– "A" ठेकेदार लाईसेंस सं० एम०टी०–218, बी0 एण्ड एल० फार्म, भूखण्ड की रजिस्ट्री इत्यादि) का अवलोकन / निरीक्षण करने के उपरान्त अवर अभियन्ता / उपखण्ड अधिकारी स्तर से साईट का निरीक्षण कर प्राक्कलन / तकनीकी आख्या खण्ड कार्यालय में प्रेषित करने के पश्चात आवेदनकर्ता की लाईन सम्बन्धी कार्य पूर्ण करते हुये संयोजन अवमुक्त किया जाता है।

- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत 49 कि०वाट / 54 केवीए तक के विद्युत संयोजन विभाग द्वारा एल०टी० लाईन से निर्गत किये जाते है। जिसके लिए आवेदनकर्ता द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से लाईसेंस प्राप्त क्लास "A" कॉन्ट्रेक्टर द्वारा निर्गत बी0 एण्ड एल० फॉर्म संलग्न किया जाता है।
- श्री संजय गुप्ता पुत्र श्री राजकमल गुप्ता का संयोजन दिनांक 04.10.2021 से 04 किलो वाट वाणिज्य विधा (LMV–2) उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवमुक्त किया गया तथा माह 07/2022 में उपभोक्ता द्वारा अपने संयोजन का भार 04 कि०वाट से 09 किलोवाट तथा विधा LMV–2 से LMV–6 में परिवर्तित कराया गया। जिसमे उपभोक्ता द्वारा औद्योगिक विधा से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र एंव सूक्षम लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार (MSME) द्वारा दिनांक 22.02.2022 को निर्गत प्रमाण पत्र एंव अन्य प्रपत्र प्रस्तुत किये गये है।
- 09 किलो वाट औद्योगिक विद्युत संयोजन अवमुक्त करने से पहले अवर अभियन्ता तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा भौतिक निरीक्षण कराया गया था।
- विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एंव मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार (MSME)/अन्य सम्बन्धित संस्था द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त ही औद्योगिक विद्युत संयोजन निर्गत किया जाता है। सरकार की किसी औद्योगिक संस्था मे रजिस्ट्रेशन होने के उपरान्त औद्योगिक विद्युत संयोजन निर्गत करना विभाग की बाध्यता हो जाती है।
- उक्त आवासीय योजना मे उक्त पत्रे पर MSME द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त ही तत्कालीन अधिकारियों द्वारा संयोजन निर्गत किया गया है।

➢ **विद्युत सुरक्षा विभाग** द्वारा प्राप्त आख्या अनुसार औद्योगिक विद्युत संयोजन प्राप्त लघु उद्योगों या किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक या वृहद उद्योगों का स्वतः भौतिक निरीक्षण किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

- अधिसूचित विभव (650 वोल्ट) से उच्च विभव पर विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने से पहले, विद्युत सुरक्षा विनियम–2010 के प्रावधान 43 व 44 के अन्तर्गत विद्युतीय अधिष्ठापन को ऊर्जीकृत किये जाने के पूर्व विद्युत सुरक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने का प्रावधान है। अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए निवेश मित्र (niveshmitra-up-nic-in) या विद्युत सुरक्षा (vidyutsuraksha-org) के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किये जाने का प्रावधान है। निश्चित समयावधि में संबंधित औद्योगिक अधिष्ठापन के भौतिक सत्यान के उपरान्त अनापत्ति प्रमाण पत्र / निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन निर्गत होती है।
- किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा अधिसूचित विभव (650 बोल्ट) से ऊपर के विभव पर विद्युत संयोजन प्राप्त करने व निजी–जनन से विद्युतीय अधिष्ठापन को ऊर्जीकृत किये जाने के पूर्व विद्युत सुरक्षा विभाग (विद्युत निरीक्षक, उ०प्र० शासन) से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु निवेश मित्र (niveshmitra-up-nic-in) या विद्युत सुरक्षा (vidyutsuraksha-org) के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किये जाने का प्रावधान है।
- लघु एवं मध्यम विभव से पोषित औद्योगिक अधिष्ठापनों को प्रदायकर्ता (सप्लायर) बिना विद्युत निरीक्षक के अनापत्ति प्रमाण–पत्र के ऊजाकृत कर सकता है, किन्तु इस आशय की सूचना विद्युत निरीक्षक को देना अनिवार्य है। साथ ही विद्युत सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित हो रहा है, यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी प्रदायकर्ता (सप्लायर) के अधिकारी का होगा।
- लघु एंव मध्यम विभव से पोषित औद्योगिक अधिष्ठापनों को प्रदायकर्ना (सप्लायर) बिना विद्युत निरीक्षक के अनापत्ति प्रमाण–पत्र के ऊर्जीकृत कर सकता है, किन्तु इस आशय की सूचना विद्युत निरीक्षक को देना अनिवार्य है। चूंकि प्रदायकर्ता (सप्लायर) के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा उक्त सूचना विद्युत निरीक्षक को उपलब्ध नही करायी गयी, अतः उक्त दुर्घटना वाले विद्युत संयोजन के विद्युत सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन के लिये प्रदायकर्ता (सप्लायर) के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं।

➢ **श्रम विभाग** द्वारा प्राप्त आख्या अनुसार पंजीयन से पूर्व किसी भी विभाग द्वारा श्रम विभाग से एन०ओ०सी० लेने का प्रावधान नहीं है।

- लघु उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के बारे में जानकारी निरीक्षण के उपरान्त ही प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली (सी०आई०एस०) के अन्तर्गत श्रमायुक्त संगठन उ0प्र0 द्वारा पोर्टल के माध्यम से प्रतिष्ठानों की रंडमली आटोमेटेड जनरेटेट सूची प्रत्येक माह संयुक्त टीम के माध्यम से निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में निरीक्षण की यह प्रक्रिया गतिमान है।
- रजिस्टर्ड लघु उद्योग में कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत किये जाने का कोई प्रावधान नही है। उक्त प्रतिष्ठान के श्रमिकों का पंजीयन श्रम विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अपेक्षित नही है। दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त की गई तथा सम्बन्धित थाने से प्रथमसूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त की गई। उक्त माध्यम से जानकारी प्राप्त होने के आधार पर लोहियानगर स्थित दुर्घटनाग्रस्त प्रतिष्ठान का स्वामी श्री संजय गुप्ता व [illegible] गुप्ता

Scanned with OKEN Scanner

को बताया गया है। स्थानीय लोगों द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर उक्त प्रतिष्ठान में खतरनाक कैमिकल पदार्थो का भण्डारण किये जाने तथा उनके माध्यम से उत्पादन एवं विनिर्माण का कार्य होने की सूचना है। इस श्रेणी के कार्य में मात्र 05 श्रमिकों के नियोजन पर ही कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अन्तर्गत उक्त प्रतिष्ठान कारखाना अधिनियम 1948 में आवर्त होता है तथा कारखाना अधिनियम में ऐसे प्रतिष्ठानों के पंजीयन/लाइसेन्स सम्बन्धी कार्यवाही सहायक निदेशक कारखाना द्वारा की जाती है। ऐसी दशा में प्रतिष्ठान शॉप एक्ट के अन्तर्गत आच्छादित नही है। केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली द्वारा श्रमायुक्त संगठन के माध्यम से निरीक्षण हेतु अनुमति नही होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त प्रतिष्ठान का अधोहस्ताक्षरी द्वारा भौतिक निरीक्षण किया जाना अपेक्षित नही था। वर्तमान में केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली (सी०आई०एस०) के अन्तर्गत श्रमायुक्त, संगठन उ०प्र० द्वारा पोर्टल के माध्यम से प्रतिष्ठानों की रैमली आटोमेटेड जनरेटेट सूची प्रत्येक माह संयुक्त टीम के माध्यम से निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में निरीक्षण की यह प्रक्रिया गतिमान है।

- दुर्घटना में मृतक कर्मकारों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 10–बी के अन्तर्गत सेवानियोक्ता से प्रपत्र ई–ई पर सूचना 07 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जाने हेतु नोटिस प्रेषित की गई है। समयअवधि पर सूचना प्राप्त हो जाने अथवा न प्राप्त होने पर भी धारा–10–ए के अन्तर्गत एक माह के अन्दर क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा करने हेतु नोटिस जारी करके क्षतिपूर्ति प्राप्त होने पर मृतक आश्रितों को नियमानुसार भुगतान किये जाने का प्रावधान है। यदि सेवानियोक्ता क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा नही करता है तो ऐसी दशा में मृतक आश्रितों द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद दायर किये जाने की दशा में नियमानुसार क्षतिपूर्ति के आदेश पारित किये जाने की व्यवस्था विहित की गयी है।

➢ **प्रदूषण विभाग** द्वारा प्राप्त आख्या अनुसार लघु, मध्यम या वृहद स्तर के प्रदूषणभार के आधार पर वर्गीकृत हरित, नारंगी, लाल श्रेणी के उद्योगों के द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों के अंतर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति (Consent to Establish & CTE and Consent to Operate& CTO) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त के अतिरिक्त अनुमन्य भू-प्रयोग पर स्थापित/ संचालित श्वेत श्रेणी के उद्योगों को स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये। जाने से छूट प्रदान की गया। है यथापि इनके द्वारा आनलाइन सूचना प्रस्तुत किया जाना प्राविधानित है। 2. सूचित करना है कि लोहिया नगर आवासीय क्षेत्र में किसी लघु उद्योग द्वारा इस कार्यालय में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। विभाग द्वारा उक्त आवासीय क्षेत्र में कोई CTE/CTO निर्गत नहीं किया गया है। अग्रेत्तर अवगत कराना है कि आवासीय भूउपयोग पर किसी भी प्रकार के उद्योग को आवेदन करने पर भी मा०उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या–34957/2003 श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक–13/08/2023 के क्रम में शासनादेश संख्या– सीएस– 89/9–आ–3–2003–62रिट/2003 दिनांक 05/09/2003 के दृष्टिगत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति नहीं दी जाती है। सूचनार्थ सादर प्रेषित ।

- **कारखाना विभाग** द्वारा प्राप्त आख्या अनुसार उपरोक्त सम्बन्धु में सादर अवगत कराना है कि अधिष्ठाता द्वारा उक्त परिसर में 05 कर्मकारों का नियोजन था। परिसर में 05 कर्मकारों का नियोजन होने के कारण प्रतिष्ठान पर कारखाना अधिनियम 1948 एवं सहपठित उ०प्र० कारखाना नियमावली 1950 के प्राविधान लागू नहीं होते हैं। अतः इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

- -**उद्योग विभाग** द्वारा प्राप्त आख्या अनुसार उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल (https://udyamregistration-gov-in/) पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों द्वारा पंजीयन की अधिसूचित प्रक्रिया । भारत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1875 दिनांक 26.6.2020 के द्वारा उद्यम पंजीयन (रजिस्ट्रीकरण) प्रख्यापित की गई है,-जिसके बिन्दु–02 में अंकित है कि–

- 1–कोई भी व्यक्ति जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित करने की आशा रखता है, स्व घोषणा के आधार पर उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल में ऑनलाईन उद्यम रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा, जिसमें दस्तावेज, कागजात प्रमाण–पत्रों या सबूत को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  2–रजिस्ट्रीकरण के समय (जिसे उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल में उद्यम कहा गया है) को उद्यम रजिस्ट्रीकरण संख्या के रूप में ज्ञात एक स्थाई पहचान संख्या दी जायेगी।
  3–रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने पर उद्यम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र अर्थात एक ई–प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
- उपरोक्त के स्पष्ट है कि उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन है, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा नहीं किया जा सकता, चूंकि पोर्टल भारत सरकार द्वारा विकसित है। अतः पोर्टल पर अपडेट करने की कार्यवाही भी भारत सरकार के स्तर से ही होती रहनी साथ ही आपके सादर संज्ञान में लाना है कि इस कार्यालय को उद्यम पंजीकरण को [illegible] / निरस्त एवं स्वतः भौतिक स्थलीय निरीक्षण करने हेतु कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

स्थलीय निरीक्षण विभिन्न सम्बन्धित विभागों से प्राप्त आख्या व जांच में पाया गया कि :–

- लोहिया नगर एक आवासीय क्षेत्र है जोकि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित है। उक्त आवासीय क्षेत्र में भवन संख्या–एम–307 श्री संजय गुप्ता के नाम था। सम्भवतः इस आवासीय भूखण्ड के मूल आवंटी श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री शीतल प्रसाद सिंह निवासी डी–70, शास्त्री नगर मेरठ से या इनके मुख्तारेआम श्रीमती रेखा रानी से श्री संजय गुप्ता द्वारा इसे कय किया गया। इस भवन के मानचित्र स्वीकृत होने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नही करायी जा सकी है।

Scanned with OKEN Scanner

लोहियानगर के इस आवासीय क्षेत्र में कई भवनों में इस प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिसका प्राधिकरण को जानकारी तक नही है। प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उस क्षेत्र में यदि कोई औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं तो उसके लिये प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। जैसा कि प्राविधानित है कि यदि किसी प्राधिकरण द्वारा विकसित किसी आवासीय क्षेत्र में कोई भी निर्माण या पुर्ननिर्माण या अन्य प्रकार की कोई गैर आवासीय गतिविधियां संचालित होती हैं तो प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित को नोटिस जारी कर कार्यवाही की जाती है परन्तु इस प्रकरण में प्राधिकरण की अनभिज्ञता से प्रतीत होता है कि प्राधिकरण के उस क्षेत्र अभियंता द्वारा अपने क्षेत्र में हो रहे निर्माण/औद्योगिक गतिविधियो/पुर्ननिर्माण होने का संज्ञान नही लिया जाता है। अगर संज्ञान लेते हुए समय रहते कार्यवाही की गयी होती तो सम्भवतः उक्त घटना न घटित होती, जिससे उस क्षेत्र के अभियंता/सक्षम प्राधिकारी की लापरवाही परिलक्षित होती है।

- जैसा कि विद्युत सुरक्षा विभाग की आख्या से स्पष्ट है कि अधिसूचित है विभव (650 वोल्ट) से उच्च विभव पर विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने से पहले विद्युत सुरक्षा विनियम–2010 के प्रावधान के 43 व 44 के अन्तर्गत विद्युतीय अधिष्ठापन को ऊर्जाकृत किये जाने के पूर्व विद्युत सुरक्षा के ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन किये जाने का प्रावधान है। इसके लिये भवन मालिक को ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन कर अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना चाहिए था, जिसके लिये भवन स्वामी दोषी है।
- विद्युत विभाग व विद्युत सुरक्षा विभाग की आख्या के परिशीलन से स्पष्ट है कि अवर अभियंता व उप खण्ड अधिकारी के द्वारा भौतिक निरीक्षण किया गया। इसके बावजूद आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक संयोजन कैसे दे दिया गया व विद्युत सुरक्षा को उक्त की सूचना तक नही दी गयी। जिसके लिये संबंधित क्षेत्र के अवर अभियंता व उप खण्ड अधिकारी, जिनके द्वारा भौतिक निरीक्षण किया गया था, को लापरवाही परिलक्षित होती है।
- श्री गौरव गुप्ता पुत्र श्री विरेन्द्र गुप्ता, निवासी–428/7, सेक्टर–7, जागृति विहार मेरठ द्वारा आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। औद्योगिक गतिविधियों के सम्बन्ध में इनके द्वारा सक्षम विभागों से कोई अनापत्तियां भी प्राप्त नही की गयी थीं। इसके साथ ही गौरव गुप्ता द्वारा प्रश्नगत भवन में खतरनाक रसायन का स्टोर किया गया था, जिसकी वजह से उक्त घटना घटित हुई, जिसके लिये गौरव गुप्ता दोषी है।
- अन्य विभागों की आख्या व जांच में ऐसे कोई तथ्य नही पाये गये जिससे किसी अन्य विभाग के अधिकारी की लापरवाही परिलक्षित होती हो। मेरठ में कई ऐसे आवासीय क्षेत्र है जहाँ पर औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो रही है। ऐसी औद्योगिक गतिविधियों में खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया जा रहा हो, ऐसी सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता। इसके लिये सभी संबंधित विभाग की एक संयुक्त टीम

DH

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा निरंतर अन्तराल पर औद्योगिक गतिविधियों के विरूद्ध जो [illegible] से संचालित की जा रही हों, संयुक्त अभियान चलाया जाना आवश्यक है।

जांच आख्या महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

(पुलकित कुमार)
सहायक निदेशक,
विद्युत सुरक्षा, मेरठ जोन,
मेरठ।

(दीपेन्द्र कुमार)
उपायुक्त उद्योग
मेरठ।

(रवि प्रकाश सिंह)
सहायक निदेशक, कारखाना,
मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड भवन,
लो0नि0वि0 मेरठ।

(पीयूष सिंह)
पुलिस अधीक्षक–नगर,
मेरठ।

(बृजेश कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी–नगर,
मेरठ।

Scanned with OKEN Scanner